ANCIENT INDIAN HISTORY & ARCHAEOLOGY, PATNA UNIVERSITY, PATNA

राज्याभिषेक

Coronation Ceremony

B.A. 2nd Year

Paper –IV, Ancient Indian Polity (From Vedic Age to 647 A.D.)

Dr. Manoj Kumar
Assistant Professor (Guest)
Dept. of A.I.H. & Archaeology,
Patna University, Patna-800005
Email- dr.manojaihcbhu@gmail.com

PATNA UNIVERSITY, PATNA

राज्याभिषेक - Coronation Ceremony

राज्याभिषेक शब्द राज्य एवं अभिषेक शब्दों के योग से बना है । अभिषेक का अर्थ है स्नान । जिस प्रकार स्नान करने से मनुष्य स्वच्छ एवं पवित्र होता है इसी प्रकार राज्य संबंधी स्नान से राजा में पवित्रता आती है । राज्याभिषेक का मूल उद्देश्य वैधानिक तथा नैतिक दृष्टि से मनोनीत राजा को राज्याधिकार प्रदान करना था। वस्तुत: वैदिक युग में उत्तर पश्चिम भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ राजा अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का भली-भाँति निर्वाह करते रहे होंगे जबकि अनेक राजा स्वेच्छाचारी रहे होंगे। प्रजा द्वारा मनोनीत राजा अथवा वंशानुगत राजा को विधिवत राज्याधिकार प्रदान करने हेतु राज्याभिषेक का महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ हुआ। इस कार्य में वैदिक मंत्रों द्वारा यज्ञ एवं कर्मकाण्डों का विकास हुआ। यजुर्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण तथा गोपथ ब्राह्मण से इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार भारतीय आर्यों का सर्वप्रथम अभिषिक्त राजा 'पृथुवैन्य' था। विधिवत् राजा बनने हेतु राजसूय यज्ञ अनिवार्य माना गया । कुरू- पांचाल शासकों ने राजसूय यज्ञ का विधिवत सम्पादन किया था । इस यज्ञ के अन्तर्गत रत्नहवींषि संस्कार, राज्य के जलस्रोतों से प्राप्त जल से स्नान, विविध देवताओं के निमित्त आहुतियों का कार्य, व्याघ्रचर्म पर आसीन होना, नवीन वस्त्रों का धारण करना, प्रजा के प्रति दायित्व निर्वाह की शपथ लेना तथा अनेक महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव यह था कि राष्ट्र एवं राजा के सम्बन्धों की उपमा माता एवं पुत्र के सम्बन्धों के रूप में दी गयी। राजा का पावन कर्त्तव्य राष्ट्र का सर्वांगीण विकास था।

राज्याभिषेक की प्रक्रिया में अध्वर्यु अथवा पुरोहित की विशिष्ट भूमिका होती थी शुक्ल यजुर्वेद में इससे सम्बन्धित प्रचुर विवरण उपलब्ध है। क्षत्रिय को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण पुरोहित क्षत्रिय को राज्य प्रदान करने हेतु यज्ञ-वेदी पर बैठाकर यज्ञ कराते हुए कहता है :

'ओजस्वती स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै दत्ताय:।

अर्थात् 'है सेचन जलतरंग ! तू राष्ट्र देने वाली है। अमुक (क्षत्रिय) के लिए राष्ट्र प्रदान कर।' राज्याभिषेक के कर्मकाण्डों का विवरण तैत्तिरीय संहिता तथा अन्य ब्राह्मण प्रन्थों में कुछ अन्तर के साथ मिलता है। प्रायः इन सभी ग्रन्थों में राज्याभिषेक को श्रेष्ठता का आधार माना गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अनभिषिक्त राजा को निन्दनीय तथा अवैध कहा गया है।

राज्याभिषेक - Coronation Ceremony

राज्याभिषेक सम्बन्धी कृत्यों में रत्नहवींषि संस्कार का अतिशय महत्व था वस्तुत: राज्य के विविध वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में रत्नियों की संख्या थोडे अन्तर के साथ उत्तर बैदिक साहित्य में मिलती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में बारह (ब्रह्मन, राजन्य, महिषी, वाबाता, परिवृक्ति, सेनानी, सूत, ग्रामणी, क्षतू, संग्रहीतू,भागदुघ, अक्षावाप) तथा शतपथ ब्राह्मण में भी बारह (सेनानी, पुरोहित, याजक, महिषि, सूत, ग्रामणी, क्षतु,संग्रहीतू, भागदुघ, अक्षावाप, गीनिकर्तन, पालागल) मिलती है। प्रत्येक रत्नी को राज्य के मुकुट में एक-एक रत्न (अस्येकं रत्नम्) कहा गया है । सेनानी से तात्पर्य सेना के प्रधान अधिकारी से था पुरोहित को अध्वर्यु कहते थे । राजा, क्षत्र या आसन का प्रतिनिधि होता था महिषी तो महत्वपूर्ण थी ही, वावाता प्रिय पत्नी के रूप में, पालागली राजनैतिक उद्देश्य से विवाहिता पत्नी के रूप में और परिवृक्ति व्यक्ता होने पर भी इसमें सम्मिलित की जाती थी सूत का कार्य राजा एवं राज्यविषयक तथ्यों को संकलित करना था। जनपद या राष्ट्र के अन्तर्गत विविध ग्रामों के प्रधान ग्रामणी कहलाते थे सम्भवतः इन ग्रामों का एक प्रतिनिधि रत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त रहा हो।

क्षत या क्षत्रिय सम्भव है सेना सम्बन्धी कार्यों में निपुण व्यक्तियों का प्रतिनिधि रहा हो जिसे रत्नी मण्डल का अविभाज्य अंग माना जा सकता है। संग्रहीत या संग्रहीता राजकोष का नियन्ता अथवा संचालक प्रतीत होता है। उसे रथचालक भी माना गया है।

भागदुघ का प्रमुख कार्य प्रजा से कर संचय करके उसे राजकोष में संग्रहीत करना रहा होगा। 'अक्षावाप' के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं है। संस्कृत में अक्ष का शाब्दिक अर्थ 'पांसा' है। इस आधार पर अक्षावाप की द्यूत विभाग का प्रमुख अधिकारी माना जा सकता है। 'गोविकत्ता' का अर्थ सामान्यतया वन विभाग का प्रमुख अधिकारी माना गया है । अल्तेकर के अनुसार यह राजा के गोधन का अधिकारी रहा होगा। राजकीय संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाला राजकर्मचारी 'पालागल' कहलाता था। वह लाल रंग की पगड़ी धारण करता था। उसके पास चमड़े का एक तरकश भी रहता था। यह आत्मसुरक्षा हेतु रहता होगा। राजनैतिक दृष्टि से ऐसे रत्नी की अत्यन्त उपयोगी भूमिका रही होगी।

रत्नियों के घर जाकर राजा उन्हें रत्नहवि के रूप में कुछ न कुछ प्रदान करता था। यह उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की पुष्टि करता है। गाय अपनी उपयोगिता की दृष्टि से सर्वोत्तम पशुमानी जाती थी। रत्नहवि रूप में अधिकांशत: गाय देने का विधान था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लखित अंश के आधार पर विविध रत्नियों को दी जाने वाली रत्नहवि निम्न प्रकार थी :

1. सेनानी को हिरण्य या सुवर्ण, 2. पुरोहित तथा महिषी को गाय, को यव (जौ) से बना भोजन, 3. सूत, 4. ग्रामणी को गाय,, 5. क्षतृ को बैल (अनड्वान), 6. संग्रहीता को दो गाय, 7. अक्षवाप को गाय, 8. गोविकर्ता को गाय, 9. भागदुघ को काली गाय, 10. पालागल को लाल पगड़ी तथा धनुष-बाण।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजारत्नियों को हवि देते समय कहता था - 'हम तुम्हारे लिए ही अभिषिक्त होते हैं और तुम्हें अपना निष्ठ (अनुगामी) बनाते हैं।

राजा रत्नियों की निष्ठा प्राप्त करने के लिए लौकिक भाव के साथ-साथ पारलौकिक से देवताओं की आराधना में आहुतियां अर्पित करता था। वैदिक मंत्रो द्वारा राजा में दैवी गुण आरोपित किए जाते थे। यदि अथर्ववेद में वर्णित राजा के गुणों एवं महत्त्व का आकलन किया जाए तो प्रजा द्वारा सम्मान्य राजा प्रजा का अधिपति (विशा विशपति:), कोष का एक मात्र स्वामी (धन चपतिर्धनानाम्) जन का एक मात्र अधिपति (एकवृषं जनानाम्), समस्त प्राणियों का प्रभु (वृषः विश्वस्य भूतस्य), मनुष्यों में सर्वोच्च (ककुदमनुष्याणां) और देवताओं के समकक्ष (देवानां अर्धभाक्) होता था राज्याभिषेक के लिए प्रस्तावित राजा को राष्ट्र के विविध स्रोतों से प्राप्त जल से स्नान कराने का उल्लेख है। यजुर्वेद के अनुसार : जो दिव्य गुणों वाले जल अन्तरिक्ष और पृथिवी में अपने सारभूत रस से सबको तृप्त करते हैं, उन सब जलों के तेज से मैं तुझे स्नान कराता हूँ।

शतपथ ब्राह्मण में सत्रह प्रकार के जलों का संग्रह करके उनसे राजा के स्नान का वर्णन मिलता है। जल संग्रह करते समय वैदिक मन्त्रों का उच्चरण किया जाता था ये जल बस्तुत: राष्ट्र के जल स्रोतों के प्रति राजा की निष्ठा एवं अनुराग के प्रतीक थे। दूध, घी, मधु आदि द्रव्यों का प्रयोग भी अभिषेक के समय किया जाता था शतपथ ब्राह्मण के ही अनुसार सर्वप्रथम राजा का अभिषेक प्रजाजनों द्वारा किया जाता था तत्पश्चात मैत्रावरुण वेदी के समक्ष रखी हुई शादूल की खाल (व्याघ्रचम) पर निर्वाचित राजा बैठ जाता था ब्राह्मण (पुरोहित), एवं (राजा के अपने परिवार का कोई व्यक्ति राजन्य एवं वैश्य द्वारा क्रमशः उसका अभिषेक किया जाता था। आभाषिक्त होता हुआ राजा कहता था - 'मैं जन का भरण करने वाला हो सके अतः राष्ट्र को दने वाले जलो मुझे राष्ट्र प्रदान करो।

अभिषेक के उपरान्त राजा नवीन वस्त्र धारण करता था। राजा को धनुष और तीन बाण दिए जाते थे जो उसकी क्षात्र शक्ति के परिचायक प्रतीत होते हैं। तीनों बाण सम्भवत: पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं आकाश के प्रति राजा के कर्त्तव्यों का बोध कराते थे राजा का सौ छिद्रों वाले सुवर्ण पात्र से अभिषेक किया जाता था ये सौ छिद्र राजा के शतायु होने की कामना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्रतीत होते हैं। इन्हीं कर्मकाण्डों में राजा गूलर की लकड़ी की बनी आसन्दी (चौकी) पर बैठता था। वह वराहचर्म के जूते पहनता

था। चार अश्वों वाले रथ पर आरूढ़ दुर जाता था। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेख है कि राज्याभिषेक के अन्तर्गत रथारूढ़ राजा सर्वप्रथम सूर्य के दर्शन करता है फिर अपनी प्रजा की ओर देखता है। सम्भवत: सूर्य की ओर राजा द्वारा देखना उसकी कृपा एवं प्रकाश प्राप्त करना था। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि के प्रत्येक जीव को होकर समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार राजा के लिए सभी प्रजाजन समान हैं।

राज्याभिषेक के अवसर पर राजा द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु शपथ लेने का विवरण अत्यन्त महत्व रखता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित शपथ के अनुसार 'जिस रात्रि में मेरा जन्म हुओ है और जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, उसके बीच के सभी शुभ कर्मों, अपने स्वर्ग, जीवन एवं बंश से बंचित होऊँ, यदि मैं तुम्हें (प्रजा को) पीड़ित करूँ । प्रस्तुत शपथ राजा की स्वेच्छाचारिता पर नैतिक अंकुश थी। राज्याभिषेक की प्रक्रिया में ही राजा की पीठ दण्ड से स्पर्श का उल्लेख है इसके कई अर्थ सम्भावित हैं :

1. राजा भी दण्ड से परे नहीं है। 2. उसे प्रजा की रक्षा हेतु दण्ड का सम्बल होना चाहिए। 3. दण्ड स्पर्श से राजा अदंड्य हो जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि विभिन्न युगों में राज्याभिषेकीय कर्मकाण्डों में कुछ अन्तर होता रहा। इन कर्मकाण्डों में विविधता होते हुए भी मूल भावना यही रही होगी कि राजा को देवताओं का सतत आशीर्वाद एवं गुण प्राप्त हो। वह प्रजा के प्रत्येक वर्ग का समादर करे राष्ट्र की धरती के कण-कण में राजा का अनुराग हा। अपना सुयोग्यता एवं दूरदर्शिता से प्रजा का पालन एवं कल्याण करता रहे। बुद्धि एवं पराक्रम से राष्ट्र की रक्षा तथा सीमाओं की वृद्धि करे। राज्याभिषेकीय कर्मकाण्ड राजाओं की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के साथ-साथ उनमें सत्संस्कारों द्वारा श्रेष्ठता का आरोपण करते रहे होंगे।